



न्यायालय

सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी

थानागाजी-अलवर

(पीठासीन अधिकारी -केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

प्रार्थना पत्र सं.:— 2022 / 121

दर्ज तिथि:—20.06.2022

1. हनुमान पुत्र रामचन्द्र जाति हरियाणा ब्राह्मण उम्र 57 वर्ष निवासी ग्राम किशोरी तहसील थानागाजी जिला अलवर राज0

.....प्रार्थी

बनाम

1. घासीराम पुत्र रामचन्द्र जाति हरियाणा ब्राह्मण उम्र 57 वर्ष निवासी ग्राम किशोरी तहसील थानागाजी जिला अलवर राज0
2. भागीरथ पुत्र घासीराम जाति हरियाणा ब्राह्मण उम्र 65 वर्ष निवासी ग्राम किशोरी तहसील थानागाजी जिला अलवर राज0
3. सीयाराम पुत्र घासीराम जाति हरियाणा ब्राह्मण उम्र 44 वर्ष निवासी ग्राम किशोरी तहसील थानागाजी जिला अलवर राज0
4. महादेव पुत्र रामचन्द्र जाति हरियाणा ब्राह्मण उम्र 55 वर्ष निवासी ग्राम किशोरी तहसील थानागाजी जिला अलवर राज0
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार थानागाजी जिला अलवर राज0

..... अप्रार्थीगण

उपस्थित

प्रार्थी अधिवक्ता:—श्री कमलेश सैनी।

अप्रार्थी:— गोपाल शर्मा।

पैरोकार सरकार।

सत्यमेव जयते

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा—128

राजस्थान भू-राजस्व अधि—1956



-:निर्णय:-

निर्णय तिथि:-09.05.2023

1. आज यह पत्रावली प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा-128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम-1956 वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई। प्रकरण का सुक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी की हाल खाता संख्या 588 आराजी खसरा नम्बर 2558/299 रकबा 0.06 है0, 2561/298 रकबा 0.03 है0, 2567/667 रकबा 0.08 है0, 627 रकबा 0.10 है0, 666 रकबा 0.02 है0, 842 रकबा 0.14 है0 व खाता संख्या 98 आराजी खसरा नम्बर 732 रकबा 0.05 है0 वाके ग्राम किशोरी तहसील थानागाजी जिला अलवर में स्थित है। उक्त वर्णित आराजी प्रार्थी की कब्जेकाश्त खातेदारी की सालिम आराजी है एवं आराजी पर प्रार्थी काबिज रहकर बिना किसी बाधा वो रूकावट के काश्त करता चला आ रहा है। उक्त खातेदारी आराजी से अप्रार्थीगण का कोई हक संबंध किसी प्रकार का नहीं है। अप्रार्थीगण प्रार्थी की आराजी के कार्यकाश्त में बाधा डालते हैं। उक्त आराजी का मौके पर सीमांकन नहीं होने से प्रार्थी द्वारा सीमांकन कराए जाने बाबत तहसीलदार थानागाजी के यहां प्रार्थना-पत्र पेश किया जिस पर तहसीलदार थानागाजी द्वारा दिनांक को मौके पर उपस्थित होकर उक्त आराजी का सीमांकन कराकर निशानदेही कराई गई। परन्तु अप्रार्थीगण पैमाइश को नहीं मान रहे है तथा प्रार्थीगण की आराजी को अपनी आराजी में मिलाना चाहते है। अब प्रार्थी मुताबिक पैमाइश रिपोर्ट दिनांक 03.06.2022 के आधार पर आराजी की पत्थरगढी कराना चाहता है। अंत में प्रार्थना-पत्र प्रार्थी स्वीकार कर आराजी उक्त की पत्थरगढी मुताबिक पैमाइश के अनुसार कराए जाने के आदेश जारी करने का निवेदन किया गया। शपथ-पत्र पेश है।
2. प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया एवं अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 लगायत 04 ने उपस्थित न्यायालय होकर जवाब प्रार्थना-पत्र पेश कर अवगत कराया कि अप्रार्थीगण प्रार्थी की खातेदारी आराजी के पड़ोसी काश्तकार हैं और प्रार्थीगण उक्त आराजी में से खसरा संख्या 732 रकबा 0.05 है0 शामिल आराजी है। उक्त प्रार्थना पत्र में अंकित खसरा संख्या 732 रकबा 0.05 है0 शामिल को छोड़कर बाकी खसरों पर पत्थरगढी की जाती है तो अप्रार्थीगण को कोई आपत्ति नहीं है।
3. प्रकरण में तहसीलदार थानागाजी को पत्र क्रमांक कोर्ट/2023/1021 दिनांक 17.01.2023 द्वारा बिन्दुवार विस्तृत तथ्यात्मक रिपोर्ट निर्धारित चैकलिस्ट में तैयार करने हेतु

लिखा गया। जिसके पटवार हल्का किशोरी ने मौके पर जाकर निर्धारित चैकलिस्ट में बिन्दुवार विस्तृत तथ्यात्मक रिपोर्ट दिनांक 20.02.2023 को तैयार भिजवायी।

4. न्यायालय द्वारा विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी व अप्रार्थी की बहस सुनी गई। दौराने बहस प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना-पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थना-पत्र प्रार्थी स्वीकार कर आराजी की मुताबिक पैमाइश दिनांक 03.06.2022 के अनुसार पत्थरगढ़ी के आदेश जारी करने का निवेदन किया है तथा अप्रार्थी अधिवक्ता ने उक्त प्रार्थना पत्र में अंकित खसरा संख्या 732 रकबा 0.05 है0 शामलाती को छोडकर बाकी खसरों पर पत्थरगढ़ी की जाती है तो अप्रार्थीगण को कोई आपत्ति नहीं है।
5. मैंने बहस प्रार्थी अधिवक्ता पर मनन किया। प्रकरण में सर्वप्रथम राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम-1956 की धारा-111 का उद्धरण यहां प्रासंगिक है। जो कि इस प्रकार है:-

111. Decision of disputes as to boundaries.—(1) *In case of any dispute concerning any boundaries the Land Records Officer shall decide such dispute, so far as possible, on the basis of the existing survey maps and, where this is not possible or such maps are not available, on the basis of actual possession.*

(2) *If, in the course of an inquiry into a dispute under this section the Land Records Officer is unable to satisfy himself as to which party is in the possession or it is shown that possession has been obtained by wrongful dispossession of the lawful occupants within a period of three months previous to the commencement of the inquiry, the Land Records Officer shall ascertain by summary inquiry who is the party best entitled to possession and shall then fix the boundary accordingly.*

6. राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम-1956 की धारा-111 के अनुसार खसरों की सीमाओं के विवाद को हाल राजस्व नक्शे के अनुसार तथा हाल राजस्व नक्शे के उपलब्ध न होने पर वास्तविक कब्जे के आधार पर निस्तारित किये जाने के प्रावधान बनाये गये है। खसरों की सीमाओं के विवाद को निस्तारित करने की प्रक्रिया के सम्बन्ध में राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम-1956 की धारा-128 के तहत प्रावधान बनाये गये है। अतः प्रकरण में साथ ही राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम-1956 की धारा-128 का उद्धरण यहां प्रासंगिक है। जो कि इस प्रकार है:-

128. Boundary disputes. - All disputes concerning boundaries shall be decided by the Land Record Officer in the manner laid down in section 111:

Provided that applications in relation to boundaries of fields may be made to and disposed of by the Tehsildar in cases where there exists no dispute as to such boundaries but on account of the absence of proper boundary marks there is the likelihood of such a dispute arising.

7. उक्त विधिक प्रावधानों के संदर्भ में पत्रावली पर संलग्न दस्तावेजात् जमाबंदी संवत् 2075-78 वाकै ग्राम किशोरी में राजस्व इन्द्राज, तहसीलदार थानागाजी द्वारा किये गये सीमांकन रिपोर्ट एवं पटवारी द्वारा निर्धारित चैकलिस्ट में बिन्दुवार विस्तृत तथ्यात्मक रिपोर्ट दिनांक 20.02.2023 का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। बाद अवलोकन पाया गया कि पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड वाकै ग्राम किशोरी के अंकित इन्द्राज के अनुसार उक्त आराजी में से खसरा नम्बर 732 रकबा 0.05 है० को छोड़कर शेष आराजी पर प्रार्थी की सालिम खातेदारी की आराजी होना साबित है। साथ ही संलग्न रिपोर्ट पैमाइश दिनांक 03.06.2022 से भी यह तथ्य प्रार्थी साबित है कि प्रार्थी द्वारा तहसीलदार थानागाजी के माध्यम से हल्का पटवारी से युक्त वर्णित आराजी की पैमाइश कराई जा चुकी है। सीमाज्ञान रिपोर्ट में पटवारी हल्का द्वारा मौके पर आराजी खसरा नम्बर 823 गै०मु० चाह को मुस्तकिल बिन्दू मानकर खसरा नम्बर 843 रकबा 0.52 है० के सभी कोनों के सीमाज्ञान कर सीमा चिह्न बताये। खसरा नम्बर 296 गै०मु० चाह व 686 गै० मु० चाह को मुस्तकिल बिन्दु मानकर खसरा नम्बर खसरा नम्बर 2558/299 रकबा 0.06 है०, 2561/298 रकबा 0.03 है०, 2567/667 रकबा 0.08 है०, 627 रकबा 0.10 है०, का सीमाज्ञान कराया। खसरा नम्बर 186 गै० मु० चाह व खसरा नम्बर 1414 गै० मु० चाह को मुस्तकिल बिन्दू मानकर खसरा नम्बर 145 का सीमाज्ञान कराया। मौके पर उपस्थित लोगों के समक्ष सीमाज्ञान किया जाकर हनुमान पुत्र रामचन्द्र जाति ब्राह्मण साकिन किशोरी को संतुष्ट किया गया है। तहसीलदार रिपोर्ट दिनांक 20.02.2023 के अनुसार उक्त वर्णित आराजी पर प्रार्थी का आंशिक कब्जा है। इस प्रकार प्रार्थी की अपनी कब्जेशुदा खातेदारी आराजी की सुरक्षा तथा सीमा विवाद के निस्तारण हेतु पत्थरगढ़ी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर आदेश जारी किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः

आदेश है कि

प्रार्थना-पत्र प्रार्थी अंतर्गत धारा-128 भू-राजस्व अधिनियम-1956 के बाबत् पत्थरगढ़ी किये जाने का स्वीकार किया जाता है। हाल खाता

संख्या 588 हाल आराजी खसरा नम्बर 2558/299 रकबा 0.06 है0, 2561/298 रकबा 0.03 है0, 2567/667 रकबा 0.08 है0, 627 रकबा 0.10 है0, 666 रकबा 0.02 है0, 842 रकबा 0.14 है0 वाके ग्राम किशोरी तहसील थानागाजी जिला अलवर पर प्रार्थी एवं संबंधित पक्षकारों/हितधारकों की पूर्व सूचित उपस्थिति में खातेदारी आराजी पर पत्थरगढ़ी किये जाने के आदेश तहसीलदार थानागाजी को दिये जाते हैं एवं साथ ही निर्देश दिये जाते हैं कि प्रार्थी की उक्त खातेदारी से लगती हुई आराजी के पड़ोसी खातेदारों को मौके पर उपस्थित रहने बाबत जरिये नोटिस पूर्वसूचित करते हुए विधिक उपबंधानुसार, अगर दीगर व्यक्ति का उक्त वर्णित आराजी पर कब्जा हो तो बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये किसी दीगर व्यक्ति को कब्जे से बेदखल नहीं करते हुए पत्थरगढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट न्यायालय को अवगत करायें। पक्षकार अपना-अपना खर्चा स्वयं वहन करेंगे।

आदेश प्रति पालनार्थ हेतु तहसीलदार थानागाजी को भिजवाई जावे। अहकाम पृथक से जारी किया जावे।

यह आदेश मेरे द्वारा आज दिनांक 09.05.2023 को खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर हस्ताक्षर व मोहर युक्त जारी किया गया।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
थानागाजी (अलवर)

सत्यमेव जयते